

सार्वजनिक निलामी सूचना

जमुई जिला बल के रद्द घोषित पुलिस वाहनों के टायर एवं स्कैप की सार्वजनिक निलामी दिनांक: - 13/06/20 को पूर्वाह्न 11:00 बजे पुलिस केन्द्र, जमुई के प्रागण में निम्नांकित शर्तों के अधीन की जाएगी।

1. वाहनों के रद्द घोषित टायर एवं स्कैप जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में दी जाएगी। कोई भी डाक बोलने के इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में उक्त वाहनों का रद्द घोषित टायर एवं स्कैप का निरीक्षण पुलिस केन्द्र, जमुई में परिवहन परिचारी, जमुई की मदद से कर सकते हैं।

2. टायर एवं स्कैप के निलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को निलामी प्रारंभ होने से पूर्व 10,000/- (दस हजार) रूपया अर्नेस्ट मनी के रूप में उसी तिथि को अद्योहस्ताक्षरी के पास जमा करना होगा। जो निलामी सम्पन्न होने के बाद असफल डाक बोलने वाले बिडरों को तुरंत वापस कर दिया जाएगा तथा सफल डाक बोलने वाले की राशि में सामंजित कर दी जाएगी।

3. गाड़ियों की रद्दीकृत टायर एवं स्कैप की निलामी सम्पन्न होने के बाद डाक बोलने वाले को पूरी डाक राशि उसी समय तथा उसी स्थान पर जमा कर देनी होगी। यदि तत्काल पूरी राशि जमा करने में कठिनाई हो तो आधा रकम तुरंत जमा करना आवश्यक होगा तथा शेष राशि एक सप्ताह के भीतर जमा करनी होगी अन्यथा अर्नेस्ट मनी जब्त करते हुए निलामी की कार्रवाई रद्द की जाएगी।

4. निलामी की गयी टायर एवं स्कैप सफल डाक बोलने वाले को तभी सुपुर्द की जाएगी जब वह डाक की पूरी राशि जमा कर देंगे। सफल डाक बोलने वाले अगर निर्धारित अवधि के अंदर शेष राशि नहीं जमा कर देते हैं तो उनके द्वारा जमा की गयी पूरी राशि जप्त की जा सकती है।

5. अद्योहस्ताक्षरी को यह अधिकार सुरक्षित है कि किसी भी डाक को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं। अद्योहस्ताक्षरी को यह भी अधिकार होगा कि बिना कारण बताये निलामी की कार्रवाई संशोधित, स्थगित या रद्द कर सकते हैं।

जमुई जिला बल में प्रतिनियुक्त विभिन्न पुलिस वाहनों के मरम्मत में बेकाम निकले पार्स पूजों एवं बदली किए गए रद्दीकृत टायरों की विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र०	टायरों की संख्या	स्कैप(किलो ग्राम में)	अभियुक्ति
1	164	300 KG	

13/06/20
पुलिस अधीक्षक,
जमुई।